बिहार सरकार
समाज कल्याण विभाग

-:: अधिसूचना ::-

संचिका सं0-स0क0निग0-91/2024 ...5229.... /श्रीमती अनिता कुमारी, तत्कालीन बाल विकास परियोजना पदाधिकारी, बारसोई, कटिहार सम्प्रति निलंबित (निलंबन अवधि का मुख्यालय- मुंगेर प्रमण्डल, मुंगेर) के विरूद्ध जिला पदाधिकारी, कटिहार के पत्रांक-393/सी० दिनांक-05.02.2024 से प्राप्त पत्र एवं पत्र के साथ संलग्न ऑडियों क्लिप में 3000/- रू० प्रति केन्द्रवार वसूली के संबंध में लेनदेन की वार्ता होने, संयुक्त जॉच दल के समक्ष ऑडियों क्लिप में रक्षित आवाज को अपनी आवाज होने की स्वीकारोक्ति किये जाने, ऑडियों क्लिप की वार्ता को ऑफिसियल बात बताये जाने, महिला पर्यवेक्षिका द्वारा अनुमंडल पदाधिकारी, बारसोई, कटिहार को दिये गये लिखित बयान में सभी महिला पर्यवेक्षिका को प्रत्येक केन्द्र से भाउचर की राशि की वसूली करने हेतु बोले जाने का उल्लेख होने, गंभीर भ्रष्टाचार में लिप्त रहने, निजी स्वार्थवश पद का दुरूपयोग करने आदि का आरोप प्रतिवेदित किया गया। इसके अतिरिक्त इनके विरूद्ध जिला पदाधिकारी, कटिहार के पत्रांक-732/प्रो0 दिनांक-20.06.2022 के माध्यम से प्राप्त आरोप पत्र में भी पूरक पोषाहार कार्यक्रम में घोर अनियमितता, राशि की वसूली, फर्जीवाड़ा एवं जालसाजी करने, आंगनबाड़ी विकास समिति के सदस्यों का फर्जी हस्ताक्षर करने, एक ही विपत्र दो बार पारित करने, टी०एच०आर० वितरण का निरीक्षण नहीं करने, लाभार्थियों की संख्या का सत्यापन किये बिना आंगनबाडी केन्द्रों को मनमानी राशि उपलब्ध कराने, स्थायी दलालों के माध्यम से पोषाहार का भाउचर इक्कठा करने एवं उस पर फर्जी हस्ताक्षर बनाकर अनुमोदन हेतु जबरन दवाब देने, राशि का विचलन कर जनवरी एवं फरवरी 2022 की तुलना में मार्च एवं अप्रैल में लगभग डेढ़ गुणा अधिक राशि बिना किसी उचित कारण के देने जिसके कारण परियोजना में पोषाहार का वितरण नहीं हो सकने, रिश्वत के रूप में अवैध राशि की मॉग करने, वित्तीय मामलों में खाली चेक पर हस्ताक्षर करने, वित्तीय मामलों में लापरवाह एवं उदासीन रहने, उच्चाधिकारी के आदेश की अवहेलना करने आदि जैसे आरोप प्रतिवेदित है। जिसके लिए इन्हें विभागीय अधिसूचना संख्या-6858 दिनांक-24.12.2024 द्वारा निलंबित किया गया था।

उक्त के आलोक में दो आरोप पत्र गठित करते हुए अनुमोदित आरोप पत्र पर श्रीमती अनिता कुमारी से विभागीय पत्रांक-4075 दिनांक-29.08.2024 एवं पत्रांक-4119 दिनांक-02.09.2024 द्वारा लिखित अभिकथन की मॉग की गई। आरोपित पदाधिकारी ने अपने पत्रांक-389 दिनांक-12.09.2024 द्वारा एक आरोप पत्र पर लिखित अभिकथन उपलब्ध कराया गया तथा दूसरे आरोप पत्र पर लिखित अभिकथन उपलब्ध नहीं कराया गया। एक आरोप पत्र पर लिखित अभिकथन प्राप्त नहीं रहने तथा दूसरे आरोप पत्र प्राप्त लिखित अभिकथन के समीक्षोपरांत अनुशासनिक प्राधिकार द्वारा श्रीमती कुमारी के विरूद्ध विभागीय कार्यवाही संचालित करने का निर्णय लिये जाने के आलोक में विभागीय संकल्प सं0-4916 दिनांक-23.06.2025 द्वारा इनके विरूद्ध विभागीय कार्यवाही संचालित की गई।

तत्क्रम में अनुशासनिक प्राधिकार द्वारा इन्हें निलंबन से मुक्त करने का निर्णय लिया गया है।

अत: उक्त परिपेक्ष्य में श्रीमती अनिता कुमारी, तत्कालीन बाल विकास परियोजना पदाधिकारी, बारसोई,कटिहार सम्प्रति निलंबित (निलंबन अवधि का मुख्यालय मुंगेर प्रमंडल, मुंगेर) को तत्काल प्रभाव से निलंबन मुक्त किया जाता है।

1. श्रीमती अनिता कुमारी को आदेश दिया जाता है कि वे निलंबन मुक्ति के पश्चात अपना योगदान विभागीय मुख्यालय में देना सुनिश्चित करें।
2. निलंबन अवधि के लिए देय वेतन के बिन्दु पर विभागीय कार्यवाही के फलाफल के आधार पर अलग से निर्णय लिया जायेगा।
3. विभागीय कार्यवाही संचालित रहेगी।

बिहार राज्यपाल के आदेश से,

27/6/25

(योगेश कुमार सागर)
संयुक्त सचिव
समाज कल्याण विभाग।

ज्ञापांक :- स0क0निग0-91/2024- 5079 पटना-15 दिनांक :- 27.6.2025

प्रतिलिपि :- ई-गजट, वित्त विभाग, बिहार, पटना को बिहार राज्य पत्र के अगले अंक में प्रकाशनार्थ प्रेषित।

27/6/25

संयुक्त सचिव
समाज कल्याण विभाग।

ज्ञापांक :- स0क0निग0-91/2024- 5079 पटना-15 दिनांक :- 27.6.2025

निबंधित

प्रतिलिपि :- महालेखाकार, बिहार, पटना/वित्त(वै0दा0नि0को0) विभाग, बिहार, पटना/प्रमण्डलीय आयुक्त का कार्यालय, मुंगेर/पूर्णियाँ/निदेशक, आई0सी0डी0एस0 निदेशालय, बिहार, पटना/जिला पदाधिकारी, मुंगेर/कटिहार/जिला प्रोग्राम पदाधिकारी, मुंगेर/कटिहार/संबंधित कोषागार पदाधिकारी/माननीय मंत्री, समाज कल्याण विभाग, बिहार, पटना के आप्त सचिव/ सचिव, समाज कल्याण विभाग के आप्त सचिव/संयुक्त सचिव, समाज कल्याण विभाग, बिहार, पटना/ विशेष कार्य पदाधिकारी (स्थापना), समाज कल्याण विभाग, बिहार, पटना/ विभागीय आई0 टी0 मैनेजर (विभागीय वेबसाईट पर अपलोड हेतु)/ श्रीमती अनिता कुमारी, तत्कालीन बाल विकास परियोजना पदाधिकारी, बारसोई,कटिहार सम्प्रति निलंबित (निलंबन अवधि का मुख्यालय मुंगेर प्रमंडल, मुंगेर) को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

27/6/25

संयुक्त सचिव
समाज कल्याण विभाग।